

द्रष्टव्य

आ० राजनीति दुर्बल
प्रमुख सचिव
उ०प्र० शासन।

सोबा में

माननीयेश्वर,
चिकित्सा विभाग एवं परिवाहन
उ०प्र० लखनऊ।

विभिन्न सिवाय अन्याय-२

विवर- राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/चिकित्सा विभागितालयों में एम०बी०बी०एस०
/ बी०डी०एस० / स्नातकोत्तर / पी०जी० डिप्लोमा एवं सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में
प्रवेश पाने वाले छात्रों से अनिवार्य शासकीय सोबा से सम्बन्धित बाण्ड भरवाने के सम्बन्ध में।

महोरात्

उपर्युक्त विषयक अपने पञ्च संख्या-एम०ई०-३/२०१७/४५७ दिनांक २२.०६.२०१७ का कृपया
सन्दर्भ ग्रहण करने का काष्ट करें।

२- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश में चिकित्सकों की कमी के
दृष्टिमत राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/चिकित्सा विभागितालयों में एम०बी०बी०एस० /
बी०डी०एस० / स्नातकोत्तर / पी०जी० डिप्लोमा एवं सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले
छात्रों से अनिवार्य शासकीय सोबा से सम्बन्धित बाण्ड भरवाने के सम्बन्ध में सम्यक दिवारोपणाता
निम्नवत् नीति निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहधे स्वीकृति प्रदान करते हैं-

१. प्रदेश के राजकीय हीड़ के मेडिकल कालेजों/संस्थानों/चिकित्सा विभागितालयों में
स्नातक (एम०बी०बी०एस०) / बी०डी०एस० / स्नातकोत्तर / पी०जी० डिप्लोमा पाठ्यक्रमी प्रवेश
सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों से अनिवार्य शासकीय सोबा से
सम्बन्धित एडीसेन्ट बाण्ड (प्रारूप संलग्न) भरवाने के सम्बन्ध में तालिका में उल्लिखित
चिकित्सानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय-

कठ	पाठ्यक्रम	बाण्ड की अवधि	बाण्ड की घनराशि	सोबा का स्थान
१	स्नातक (एम०बी०बी० एस० / बी०डी०एस०)	०२ वर्ष	रु० १०.०० लाख	महानगरी को छोड़कर अन्य जनपटी में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेजों में नौन पी०जी० ज०आ० के रूप में तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक केन्द्र में सविदा चिकित्सा अधिकारी के रूप में।
२	स्नातकोत्तर (एम० बी० / एम०एस० / एम०डी०एस० / पी०जी० डिप्लोमा पाठ्यक्रम)	०२ वर्ष	रु० ४०.०० लाख (पी०जी० डिप्लोमा / एम०बी०एस० हेतु) रु० २०.०० लाख (पी०जी० डिप्लोमा / एम०बी०एस० हेतु)	महानगरी को छोड़कर राजकीय मेडिकल कालेजों में सीनियर रेजीटेंट अध्यात्मा सविदा प्रवक्ता तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन सम्भालित महानगरी को छोड़कर जिला चिकित्सालयों अध्यात्मा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में सविदा विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में।

संवादी निकाल करनी /
समाजी निकाल विविधताओं
में से एक ही निकाल करना कठिन
निकालों में संविधान अनुकूल
निकाल और विविधताओं निकाल
निकालके रूप है।

२. उक्त बांध विनाशित होती हुई परिवहनों के लिए विभिन्न विधियाँ देखें।

- बापड़ से विचलन की दशा में सम्बन्धित अभ्यर्थी (वीक्षणविवरणम्) भवते का एम०बी०बी०एस० विविधता विकासितों को छोड़कर) को बापड़ की व्यवसायी प्रदेश सरकार के लाल करनी होगी। बापड़ की घटनाकृति सम्बन्धित विकिल्सा गठनविद्यालय/सम्मान/विश्वविद्यालय सत्र पर सम्बन्ध औपचारिकताव सूने बनते हुए घटनावाच्च/विदेशक/कूलसंघित के गठनम् से महानिदेशक विकिल्सा विज्ञा एवं प्रविष्टान् ००५० द्वारा राजकीय कोषालार पे जना करायी जायेगी।
 - बापड़ से विचलन की दशा में यदि कोई अभ्यर्थी बापड़ की घटनाकृति जना नहीं करता, तो इसकी दस्तुरी भू राजस्व की भाँति की जायेगी।
 - ऐसे विकिल्सको (एम०बी०बी०एस०/बी०बी०एस०/स्नातकोत्तर विद्यु वारक/बी०जी० डिप्लोमा पाठ्यक्रम/एम०बी०एस०) को वही परिवेशिकी तथा नामिक भानदेय प्रदान विए जायेंगे जैसा कि व्याख्याति नाम बी०जी० जूनियर एजीडीपट अध्ययन वाक-इन इन्टरव्यू के व्याप्ति से प्राप्त संविदा विकिल्सको को किए जाते हैं।
 - मुख्य राजकीयलिटी विकिल्सको को संविदा के आधार पर मार्शिक भानदेय तथा परिवेशिकी नियांसित करने की कार्यवाही नियमानुसार पृथक् से की जायेगी।
 - बापड़ जै जाने से किसी भी अभ्यर्थी को राजकीय सेवा अथवा राजकीय मेडिकल कालेजी/संस्थानी/विकिल्सा विश्वविद्यालयों में अनिवार्य रूप से सेवायोजित किए जाने का कोई अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। शासन द्वारा प्रधानमंत्रक उपलब्ध विभिन्नों के सामैल ही उनको नियांसित अवधि तक के लिए ही सेवायोजित किया जायेगा।
 - मुख्य राजकार द्वारा अभ्यर्थी के राफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूर्ण किए जाने की तिथि से अधिकतम ०३ माह की अवधि तक सम्बन्धित अभ्यर्थी को सेवायोजित न किए जाने की दशा में उनका बापड़ रिलीज कर दिया जायेगा। यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी राफलतापूर्वक हेतु नियमानुसार अवगत ही जाता है तो तदनुसार उसके द्वारा किए गये अनुरोध के क्रम से बापड़ रिलीज कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपार्टमेंट सामंदेय तथा परिवेशिको का भूगतान सम्बन्धित विभाग विकिल्सा विज्ञा विभाग या विकिल्सा एवं साक्ष्य विभाग जहाँ अभ्यर्थी के व्याप्ति द्वारा विज्ञा जायेगा।

8. प्रस्तावित द्वितीय बाण्ड में द्वितीय पक्ष और सम्पादन उल्लंघन प्रवेश की ओर से एचीमेट बाण्ड पर सरताहार करने हेतु सम्बन्धित संस्थान/मेडिकल कालेज/यूनिवरिसिटी के साथ अधिकारी को विकिल्सा फ़िल्म किंवदं द्वारा नामित किया जायेगा।
3. उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपलान सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक—यथोक्त :

मरदीय
(डॉ रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या—९५०(१) / ७१—२—२०१८—तदृदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. प्रमुख सचिव, गांगुली जी, उ०प्र० सासान।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० सासान।
3. प्रमुख सचिव, विकिल्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र० सासान।
4. महानिदेशक, विकिल्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
5. कुलपति, किंग जार्ज विकिल्सा विश्वविद्यालय, उ०प्र० लखनऊ।
6. कुलपति, उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
7. निदेशक, एस०जी०पी०जी०आ०, लखनऊ।
8. निदेशक, डॉ राम भनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
9. निदेशक, सुपर स्पेशियलिटी बाल विकिल्सालय एवं शिक्षणिक संस्थान, नोएडा।
10. निदेशक, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गोटर-नोएडा।
11. प्रधानाधार्य, समस्त राजकीय मेडिकल कालेज, उ०प्र० (द्वारा महानिदेशक, विभिन्न एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ)।
12. रमस्त मुख्य विकिल्सापिकारी, उ०प्र० (द्वारा महानिदेशक, विभिन्न एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ)।
13. विकिल्सा फ़िल्म अनुभाग—१ एवं ४।
14. गांगुली काईल।

आड्डा से,
(अग्निल कुमार)
उप सचिव।